

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगाथिया वनाम श्री 310 पूरजमीना नि 0 वमनपुरा


प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 46/2017

निर्णय दिनांक :- 26/11/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण राक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम वमनपुरा की आ.ख.न. 161..... कुल रकबा 1.57 किस्म जमीन नांगुण्डा में से 0.01 रकबे पर श्री श्री 310 पूरजमीना मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर श्री 310 पूरजमीना कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तिगाथिया द्वारा दिनांक 29.11.17 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. कडौदाबाग के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी श्री 310 पूरजमीना जालि मीना निवासी वमनपुरा को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी कापूरमहेश उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 161..... रकबा 1.57 में से 0.01 रकबे किस्म नांगुण्डा है जो नियमन क बाध नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबे से वेदखल किया जान के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paice का 50 गुणा 30 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगाथिया भू.अ.निरी. कडौदाबाग को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)